विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

विज्ञापन सं.: रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/रा.न्या.से./सिविल.न्या.संवर्ग./2021/780 दिनांकः 22/07/2021

सिविल न्यायाधीश संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा, 2021

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथा संशोधित) [Rajasthan Judicial Service Rules, 2010] (As amended) के अन्तर्गत सिविल न्यायाधीश संवर्ग (Civil Judge Cadre) में, परिवीक्षा पर (On Probation) वेतनमान–रूपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के कुल 120 रिक्त पदों (वर्ष 2020 के 89 व वर्ष 2021 के 31) पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाईन प्रारूप (Online Format) में ऑनलाईन आवेदन (Online Application) आमंत्रित किए जाते हैं।
2. Online Application भरने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों (Instructions) का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें, जो राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है।
3. आवेदक Online Application में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
4. रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण (Number of vacant Posts and Reservation):–

Total Number of Vacancies	Year	General	Reserved					Persons with Benchmark Disabilities
			SC	ST	OBC	EWS	MBC	
89	2020 (up to Dec., 2020)	35 Out of which, 10 posts for women Out of 10 posts 02 posts reserved for Widow	14 Out of which, 04 posts for women Out of 04 posts 01 post for widow	10 Out of which 03 posts for women	18 Out of which 05 posts for women Out of 05 posts 01 post for widow	08 Out of which 02 posts for women	04 Out of which 01 post for woman	Out of 89 vacancies, 04 posts for persons with Benchmark Disabilities*
31	2021 (up to Dec., 2021)	14 Out of which, 04 posts for women Out of 4 posts 01 post reserved for Widow	04 Out of which 01 post for woman	03	06 Out of which 01 post for woman	03	01	Out of 31 vacancies, 01 post for persons with Benchmark Disabilities*

* Out of 05 posts reserved for persons with Benchmark Disabilities, 01 (One) post is reserved for blindness and low vision, 01 (One) for deaf and hard of hearing, 01 (one) for locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy and 02 (two) for autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness and multiple disabilities from the amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities.

नोटः–उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिए पुनः विज्ञापन/शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जायेगा।

5. विभिन्न वर्गों (Various Categories) के आरक्षण के सन्दर्भ में:–

   i. महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न–विवाह महिला सहित) हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **प्रवर्गवार रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा अर्थात् जिस प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) की महिला आवेदक चयनित होगी, उसे सम्बन्धित प्रवर्ग (Category), जिसकी वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।

   ii. दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण **कुल रिक्त पदों के विरूद्ध** क्षैतिज (Horizontal) रूप से होगा, अर्थात् जिस प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सामान्य वर्ग) का दिव्यांग आवेदक चयनित होगा, उसे संबंधित प्रवर्ग (Category),जिसका वह आवेदक है, में समायोजित किया जायेगा।

   iii. राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/महिलाओं (विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला सहित)/दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (यथासंशोधित) में विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरा जायेगा।

   iv. सामान्य वर्ग के पदों के विरूद्ध चयन हेतु, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।

22.7.21